समाचार

सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन व मास्क न लगाने पर आज 9060 रू. का जुर्माना

कोरबा 01 जून 2020 –आज सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं मास्क न पहनने वालों के ऊपर 9060 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन व मास्क न लगाने पर कोरबा जोनांतर्गत 6450 रूपये का अर्थदण्ड, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 300 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 600 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 300 रूपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 610 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यतः लगाएं–महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। उन्होने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव,उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।